उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून उत्तराखण्ड।

अपील संख्या : A(D)-24687/2017
अपील अंतर्गत धारा-19(3)सू.का.अधि.अधिनियम, 2005

सम्मुख : सुरेन्द्र सिंह रावत, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता : श्री प्रवीण शर्मा, पीन्नी, पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला गीडिया प्रभारी, जन संघर्ष मोर्चा, जीवनगढ़, पोस्ट ऑ0-अम्बाड़ी, देहरादून।

बनाम

प्रत्युत्तरदाता : 1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/उप सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

प्रतिलिपि: प्रमुख सचिव खनन, सुभाष रोड, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

आदेश

अपीलकर्ता अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी/श्री दीपक जोशी, अनुभाग अधिकारी, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून उपस्थित है। विभागीय अपीलीय अधिकारी/उप सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की ओर से भी श्री जोशी ही उपस्थित है। विभागीय अपीलीय अधिकारी की आख्या डाक द्वारा संलग्नकों सहित आयोग में प्राप्त हुई है, जिसे पत्रावली एवं कार्यवाही का भाग बनाया गया।

2. सूचना के लिये अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 29/06/2017 लोक सूचना अधिकारी/सचिव कार्यालय, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित किया गया। अपीलकर्ता द्वारा एक बिंदु में यह सूचना मांग गई कि श्री सुभाष नेगी, अध्यक्ष, जन संघर्ष मोर्चा, उत्तराखण्ड के आवेदन पर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 26/04/2016 को अपर सचिव, खनन को चार हजार करोड़ के खनन घोटाले पर परीक्षण कर पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये गये थे, उस मामले में मुख्य सचिव के स्तर से की गई कार्यवाही, मुख्य सचिव को प्रेषित रिपोर्ट इत्यादि से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रतियां मांगी है।

3. दिनांक 05/07/2017 को सूचना का अनुरोध पत्र लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुआ। दिनांक 06/07/2017 को अपीलकर्ता को दो पृष्ठों में सूचनायें दी गई जिसमें एक पृष्ठ दिनांक 02/05/2016 की पत्रावली की टिप्पणी

Scanned by CamScanner

की छायाप्रति है और दूसरा पृष्ठ दिनांक 10/05/2016 जो उप सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून को भेजे गये पत्र की प्रतियां है। उक्त सूचना से संतुष्ट न होने पर अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 13/07/2017 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपील का निस्तारण दिनांक 20/09/2017 को किया गया। यह विभागीय अपील दिनांक 14/07/2017 को प्राप्त हो गई थी परन्तु उसका निस्तारण अत्यधिक विलम्ब से दिनांक 20/09/2017 को किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के प्राविधानों के अंतर्गत विभागीय अपील का निस्तारण अधिकतम 45 दिन के अंतर्गत किया जाना चाहिये। वर्णित स्थिति में दिनांक 20/09/2017 के विभागीय अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाता है।

4. द्वितीय अपील आयोग में प्रस्तुत हुई है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जो सूचनायें मांगी गई है जो सूचनायें कार्यालय में धारित थी, वह अपीलकर्ता को उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलकर्ता की मुख्य आपत्ति यह है कि जो श्री रघुनाथ सिंह नेगी द्वारा शिकायती पत्र दिया गया था उस कार्यवाही करने मे अत्यधिक विलम्ब किया जा रहा है और दिनांक 26/04/2016 को श्री रघुनाथ सिंह नेगी द्वारा मुख्य सचिव को शिकायती पत्र दिया था जिस पर मई, 2016 में कतिपय पत्रों भेजने और टिप्पणियां लिखने के बाद अग्रिम कार्यवाही एक वर्ष बाद की गई है। राज्य सरकार के सचिवालय में किसी मामले पर इतने विलम्ब से अनुश्रवण की कार्यवाही करने से राज्य सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसकी पुनरावृत्ति न हो।

5. प्रमुख सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन कृपया इस मामले को स्वंय देखे और जो शिकायती पत्र श्री रघुनाथ सिंह नेगी द्वारा दिया गया है उस पर शासन स्तर से जो भी उचित निर्णय हो, वह ले लिया जावे। अपीलकर्ता को जो सूचना अनुरोध की गई है वह उनको प्राप्त हो गई है। इस आदेश की प्रति पंजीकृत डाक से प्रमुख सचिव, खनन, सुभाष रोड, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित की जायें। प्रस्तुत अपील निस्तारित एवं निक्षेपित की जाती है।

इस आदेश की प्रति उभय पक्षों को प्रेषित की जाए।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

15.12.2017

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
राज्य सूचना आयुक्त

15/12/2017

Scanned by CamScanner

जन संघर्ष मोर्चा

उत्तराखण्ड

रघुनाथ सिंह नेगी
अध्यक्ष
पूर्व उपाध्यक्ष
गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN)

विकास: अस्पताल रोड, विकासनगर
जनपद: देहरादून (उत्तराखण्ड)
फोन: 09379309099
email: rsnegi078@gmail.com

क्रमांक.................. दिनांक 26/4/16

ज्ञापन

सेवा में,

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय:- 4 हजार करोड के खनन घोटाले पर मा0 सूचना आयुक्त के निर्देश पर मुख्यमन्त्री कार्यालय द्वारा दिये गये कार्यवाही प्रकरण पर एक वर्ष बीतने के उपरान्त भी कार्यवाही न होने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि जनपद देहरादून में मा0 न्यायालय के प्रतिबन्ध के बावजूद वर्ष 2009 से 2013 तक लगभग 190 लोगों को खनन भण्डारण के लाईसेंस जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये थे, जिनकी आड में खनन माफियाओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध कारोबार को इन लाईसेंस की आड में वैध बनाने का काम किया तथा खनन भण्डारण लाईसेंस की आड में लगभग 4000 करोड का काला कारोबार किया गया। इन भण्डारण लाईसेंस धारियों ने अपने रोजनामचे में फर्जी दस्तावेजो को आधार बनाकर उपखनिज की आमद दर्ज की, जिनका जनपद की वन चौकियों एवं व्यापार कर विभाग की चौकियों में कहीं भी आमद दर्ज नहीं थी, तथा इनके द्वारा उपखनिज की आमद अन्य प्रदेशो से आयात की गयी, दर्शायी गयी, जबकि उपखनिज का उठान जनपद की प्रतिबन्धित की नदियों से किया गया।

माह जनवरी 2015 में मामले की गम्भीरता को देखते हुए सूचना आयुक्त मा0 अनिल शर्मा ने दिनांक 29.01.2012 को अपील पर सुनवाई के दौरान उक्त प्रकरण की जाँच हेतु प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री को सन्दर्भित किया, जिसके अनुपालन में प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री ने दिनांक 20.02.2015 को पूरे प्रकरण पर जाँच हेतु अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक को जाँच एवं आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। उक्त मामले को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। उक्त प्रकरण की जाँच होने से खनन माफियाओं से खनिज नियमावली के प्रावधानों के तहत लगभग 500 करोड रू0 राजस्व मिलने की सम्भावना है, जो कि प्रदेश के लिए संजीवनी सिद्ध हो सकती है।

अतः आपसे आग्रह है कि उक्त प्रकरण की जाँच कराने का कष्ट करें, जिससे प्रदेश को भारी मात्रा में राजस्व प्राप्ति हो सके।

भवदीय

(रघुनाथ सिंह नेगी)

(Ashok Gupta)

Scanned by CamScanner